- Concessional Tickets Farmers

717. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:

(a) whether any concessions, like free or concessional tickets, have been given by the Railways to farmers who want to visit in groups to Research Stations, Dairy Farms, river valley projects, industries or historical places for getting technical know how;

(b) if so, what are the details of facilities given to them;

(c) what instructions Government have issued to different Railways in this regard; and

(d) the number of farmers who have availed of these facilities during the last two years (State-wise)?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIA-MENTARY AFFAIRS (SHRI MAL-LIKARJUN): (a) to (c). As per extent rules Kisans travelling in groups of twenty and above are allowed the facility of travel concession in Second Class for visiting country's river valley and other National Projects as also Research Centres and Agricultural Universities. This facility is also extended to them for visiting Industrial and Agricultural Exhibitions at the National level. The element of concession allowed is 25 per cent in the case of single journeys and 50 per cent in the case of return journeys.

(d) No such statistics is maintained by the Railways.

पूर्वोत्तर रेल मरीन कर्मचरियों का सम्मेलन

718 श्री रामावतार शास्त्रीः क्या रेल मंत्रीः इ वताने की क्रुपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेल मजदूर संघ के तत्वावधान में 27 झौर 28 झप्रैल, 1981 को, मोकामेट्स घाट पर पूर्वोत्तर रेल मेरीन कर्मचारियो का एक सम्मेलन हुन्ना था ;

(ख) थदि हां, तो क्या उस सम्मेलन में पारित संकल्प उन्हें भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; ग्रौर

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय ३व संसदीय कां विभाग में उर मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)ः (क) ग्रौर (ख). जी हां।

(ग) ग्रौर (घ). सरकार की नीति के ग्रनसार किसी भी स्रोत से प्र.प्त कर्मचारियों के ग्रम्यावेदनों पर यथोचित विचार किथा जाता है ग्रीर प्रत्येक मामले के गुण-दांष के ग्राधार पर जो कार्रवाई ग्रावश्यक समझी जाती है. वह की जाती है। प्रश्नगत संकल्प कतिपय स्थानीय मामलों के झलावा मेरिन कर्मचारियों के वेतनमान, विशेष वेतन, वर्दी, पदोन्नति की सम्भ।वनाम्रों म्रादि जैसी कतिपय सेवा की सामान्य शतौं से सम्बन्धित है । पूर्वोत्तर रेल प्रशासन स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में यथ।वस्यक कार्रवाई कर रहा है। म्राम समस्याओं पर सामान्यतया मान्यता-श्रमिक संघों भौर प्रशासन द्वारा प्राप्त बैठक भ्रायोजित करके विचार-विमर्श किया जाता है भौर लिये गये निर्णयों के भाषार पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा करते समय सरकार की वित्तीय एवं मन्य कठिनाईयों को ध्यान में रखा जाता है।